20/9/18 वकुला है फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा
212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस
सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया
कि ग्राम लोरडी के खसरा नम्बर 1268, 1269,
1648/646 का मै रिकार्डेड खातेदार हुं। प्रतिवादी संख्या
1 से 6 मेरी खातेदारी पर जबरन कब्जा करना चाहते
है। पूर्व मे स्टे मेरे पक्ष मे दिनांक 13/12/2012 को
जारी हुआ है। मौके पर भूमि एक चक है, प्रतिवादी
की तरफ से कोई दस्तावेज अथवा रजिस्टर्ड डीड नही
प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर कोई प्रमाणित
दस्तावेज नही है। मेरा दावा धारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम का है मुझे प्रतिवादीगण
बेदखल कर रहे है। इसलिए इनके विरुद्ध दावा
लाया हुँ मै रिकार्डेड खातेदार हुं पत्रावली पर एक भी
दस्तावेज नही है। जिससे प्रमाणित हो कि इनका
कोई हक है गिरदावरी की प्रति मैने संलग्न की है
उसमे हमारी काश्त का वर्णन है इसलिए प्रतिवादी
गण को अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे।
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का निवेदन रहा कि खसरा
नम्बर 1268, व 1269 से मुझे कोई वास्ता नही है। मैने
सिविल न्यायालय ब्यावर से T.I ले रखी है। लादू ने
एक बेचान इकरारनामा मेरे पक्ष मे निष्पादित किया था
खसरा नम्बर 1648/646 का जवाब मै मैने सब कुछ
लिखा है। जबसे बेचान इकरारनामा हुआ तब से मै
काबिज हुं लादू ने मेरे पक्ष मै रजिस्ट्री नही कराई
सुवालाल जी का देहान्त हो गया है। प्रतिवादी संख्या
3 से 6 का इस सम्पति से कोई लेना देना नही है।
सुवालाल के अन्य वारिसान भी है उन्हे पार्टी नही
बनाया है। जब तक सुवालाल के पूरे वारिसान रेकार्ड
पर नही आते तब तक दावा चलने योग्य नही है।
प्रतिवादी संख्या 3 से 6 सुवालाल के वारिसान नही है।
केवल कहने मात्र से मै JCB लेकर जाना प्रमाणित नही
होता खसरा नम्बर 1648/646 पर मै बेचान इकरारनामे की दिनांक से
काबिज हुं। P.T.O

किस्म मुकदमा आर0टी0ए0 नंबर सन्..201

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार	बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के आधार पर व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी के हक मे प्रथम दृष्टया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि० अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि मौजा लोरडी पटवार हल्का बहादुरपुरा तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर के खसरा नम्बर 1268 रकबा 03-11-0, 1269 रकबा 04-03-0 एव 1648/646 रकबा 07-00-00 की भूमियों को अप्रार्थीगण रहन बय बेचान आदि नही करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा राजस्व रकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखेगे। ~~खर्चा~~ फरीकारान खर्चा अपना अपना वहनकरें। अतः आदेश सुनाया गया। (पर्वतसिंह चूण्डावत) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर) राज.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 14:50:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: